राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 38/2020

कर्णसिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
2. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 111, 112

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक : 05–07–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी/वादी ढाणी ईलाखर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल ख.नं. 350 रकबा 1.12 है. का खातेदार टीनेन्ट है। उक्त भूमि वादी को उसके पिता से उत्तराधिकार में मिली है व सहखातेदारान उसकी माता हरबाई व बहिनों श्रीमती अनीता, कमला, बबली, शांता, संतोष ने वादी के हक में अपने खातेदारी अधिकार जरिये हक समर्पण पत्र दे दिये है। इसलिये वादी अकेला उक्त भूमि का व इससे लगती ही ख.नं. 349 रकबा 0.01 है. का एकांकी खातेदार है। वादी ने विवादित भूमि को रहन मुक्त करवा लिया व दुबारा प्रतिवादी सं. 2 से ऋण ले लिया है जिसे पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि ख.नं. 350 रकबा 1.12 है. व ख.नं. 349 रकबा 0.01 है. गत ख.नं. 56 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा से बने है जिसके रकबे में व मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पर पहले खेत ख.नं. 56 स्थित था उसमें कोई कांट छांट अथवा अतिक्रमण किसी ने नहीं किया व न ही इसमें पूर्व खातेदार स्व. हरिसिंह व वादी ने आस पास की भूमि पर अतिक्रमण कर इसमें मिलाया। इसलिये भूमि की भौतिक स्थिति पूर्ववत रही। उक्त भूमि गत ख.नं. 56 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा की भौतिक स्थिति संवत् 1993 सन् 1936–37 से अब तक एक ही जगह रही है। मगर वर्तमान भू पैमाईश सन 1979–80 में उक्त गत ख.नं. 56 के हाल ख.नं. 350 रकबा 1.12 है. व ख.नं. 349 रकबा 0.01 है. बनाकर भूमि ख.नं. 350 के नक्शे की उत्तर दक्षिण की दिशाओं (भुजाओं) में परिवर्तन कर दिया व पहले के नक्शे के [illegible] बढ़ा दिया व उत्तर की दिशा में कम कर दिया जिससे भविष्य में विवाद होने [illegible]-पूरा भय पैदा हो गया। विवादित भूमि के पुराने नक्शे ख.न. 56 [illegible] 349 को मिलान करने से उपरोक्त वर्णित अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है [illegible] दस्तावेजात खतौनी [illegible] पत्रक से भी स्पष्ट दिखता है। ऐसी परिस्थितियों में वादी [illegible] लिए यह आवश्यक [illegible] है कि वो विवादित भूमि हाल ख.नं. 350 रकबा 1.12 है., ख.नं. 349 रकबा 0.01 है. का नक्शा गत ख.नं. 56 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के अनुसार ही दुरूस्त करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ढाणी ईलाखर स्थित भूमि हाल ख.नं. 350 रकबा 1.12 है. का हाल नक्शा गत नक्शा ख.नं. 56 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के अनुसार दुरूस्त करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम ढाणी ईलाखर, जमाबन्दी संवत् 2047--50, संवत् 2055--58, संवत् 2059–62, संवत् 2063–66, संवत् 2051–54, संवत् 2033–36, संवत् 2067--70 ग्राम ढाणी ईलाखर, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 व सन् 1979–80 पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 ग्राम ढाणी ईलाखर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक ख.नं. 56 वादी के हकपूर्वाधिकारी सांवल तुलसा माडू पुत्र बीजा जाट सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक हाल ख.नं. 349, 350 साबिक ख.नं. 56 मी. से बने है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.13 है. है। नकल नक्शा किश्तवार संवत् 1936–37 व सन् 1979--80 के मिलान करने (Super impose) से यह स्पष्ट होता है कि साबिक ख.नं. 56 व हाल ख.नं. 350 की उत्तर दक्षिण दिशाऐं पुराने नक्शा शीट के मुताबिक ही बनी है। प्रथम दृष्टि दोनों नक्शा शीटों के मिलान से साबिक ख.न. 56 से बने हाल ख.नं. 350 की उत्तर दक्षिण सीमा सही है जिसमें दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:19:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner